न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—325/2018/223 (2018/00325)

1. श्रीमती शांतिदेवी पत्नि हरिराम पुत्रवधु रतना,
2. शिवजी पुत्र स्व0 हरिराम पौत्र रतना,
3. प्रहलाद पुत्र स्व0 मोतीलाल पौत्र सवाई,
4. श्रवण पुत्र स्व0 मोतीलाल पौत्र सवाई,
5. विक्रम पुत्र स्व0 मोतीलाल पौत्र सवाई,
6. रामचंद्र पुत्र स्व0 मोतीलाल पौत्र सवाई,
7. श्रीमती प्रेमदेवी पुत्री स्व0 मोतीलाल पौत्री सवाई,

समस्त जाति जाचक, निवासी ग्राम माखुपुरा, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र मोतीलाल, जाति जाचक, नि0 ग्राम माखुपुरा, तहसील व जिला अजमेर ।
2. सुखराम पुत्र रतना, जाति जाचक, निवासी ग्राम माखुपुरा, तहसील व जिला अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 21.3.2017 अंतर्गत वाद संख्या 54/2008.

उपस्थितः—

1. श्री एन0एस0राजावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री सी0पी0शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. रेस्पो0 संख्या 2 स्वंय उपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांकः— 4.2.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 21.3.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादी के पिता मोती वल्द सवाई है उन्होंने उसे नाबालिग अवस्था में ही मु0 अन्नी व उसके पति कालू पुत्र सवाई को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया था तब से उन्ही के पास रहा, दत्तक माता के देहांत होने पर जाति बिरादरी के रस्म रिवाज अनुसार उनका कियाकम वादी ने दत्तक पुत्र के रूप में किया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

वादी के दत्तक माता व पिता का स्वर्गवास हो चुका है । वादी द्वारा ग्राम माखुपुरा, तहसील व जिला अजमेर स्थित खतोनी संख्या 286/276 के खसरा नंबर 1483 रकबा 1–4–0, खसरा नंबर 1520 रकबा 0–19–10 पर अन्नी बेवा कालू खातेदार का दत्तक पुत्र कायम मुकाम वारिस होने से काबिज है जो मृतक के स्थान पर उसके नाम राजस्व रिकार्ड में बहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज करने हेतु वाद घोषणा पेश किया है । वर्किंग जमाबंदी अनुसार खतौनी संख्या 361/348 के खसरा नंबर 1477 मिन रकबा 1–8–10, खसरा नंबर 1516 रकबा 0–2–10 चाह एवं खसरा नंबर 1517 रकबा 0–9–0 में रतना के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 व मोती वल्द सवाई का संयुक्त रूप से आधा हिसस तथा आधा हिस्सा मु0 अन्नी बेवा कालू का है जिसके आधे हिस्से का वादी दत्तक पुत्र होने से काबिज काश्त है जो वादी के नाम दर्ज कर आधे हिस्से का विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस किये जाने का निवेदन किया । अन्त में वाद में चाहे गये अनुतोष अनुसार वाद डिक्री करने तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने दिनांक 20.10.2008 का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 ने अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.10.2008 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के न्यायालय में अपील पेश की जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 11.5.2009 द्वारा निरस्त कर दी जिसकी नजरसानी पेश गई जिसे भी दिनांक 23.6.2009 को निरस्त कर दिया गया । राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादी द्वारा मान0 राजस्व मण्डल में अपील पेश की गई जो निर्णय दिनांक 19.8.2011 से अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया नियमित वाद में तनकियात कायम कर साक्ष्य आदि लेकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करे । प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने पर अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 4.4.2016 को पारित कर वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की तत्पश्चात् दिनांक 21.3.2017 को अंतिम डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 21.3.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने लिखित एवं मौखिक बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 21.32.2017 न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । मृतक कालू पुत्र सवाई व श्रीमती अन्नी देवी पत्नि कालू ने न तो कभी भी वादी शंकर लाल को गोद लिया था एवं न ही मोती लाल ने अपने जीवन काल में गोद दिया था जिसे अधी0न्याया0 ने बिना पंजीकृत दस्तावेज के गोद पुत्र नहीं मानते हुए दिनांक 24.10.2008 को दावा खारिज किया था लेकिन उसी तथ्य पर अधी0न्याया0 ने दत्तक पुत्र मानकर यह निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के साथ वादी द्वारा पेश दस्तावेज से ही दिनांक 24.10.2008 को वाद खारिज किया गया था उसी दस्तावेज से दिनांक 21.3.2017 को विधि अनुसार मानकर निर्णय व डिक्री पारित की गई जो विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल है । अधी0न्याया0 ने समस्त दस्तावेज फर्जी व कूटरचित वादी द्वारा कालू पुत्र सवाई व अन्नी पत्नि सवाई की मृत्यु उपरांत होने पर भी उन्हें सही मानकर जो निर्णय व डिक्री पारित की है वह विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने कालू व अन्नी देवी द्वारा दत्तक पुत्र के संबंध में पंजीकृत

दस्तावेजी साक्ष्य नहीं होने के बावजूद रेस्पो0 संख्या 1/वादी को दत्तक पुत्र मानने में त्रुटि कारित की है । बहस में यह भी कथन कि वादी ने सवाई पुत्र सोलाल के संपूर्ण वारिसान को वाद में पक्षकार बनाये बिना एवं उन्हें सुने बिना निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की है जब निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 4.4.2016 ही विधि विरूद्ध है तो उसके आधार पर पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 21.3.2017 भी विधिविरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है । लिखित बहस में आगे कथन किया कि विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार कर तहसीलदार, अजमेर के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है जिसमें राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की भी पालना नहीं की गई है । अंतिम डिक्री दिनांक 21.3.2017 पारित किये जाने से पूर्व अपीलांट संख्या 7 श्रीमती प्रेमदेवी को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा अंतिम डिक्री पारित किये जाने से पूर्व प्रतिवादी मोतीलाल का स्वर्गवास हो चुका था जिसके विरूद्ध उसके वारिसान को तहसीलदार, अजमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उल्लेखित किये जाने के उपरांत भी पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है साथ ही स्व0 हरिराम के अवशेष विधिक वारिसान ममता, अलका व पूजा को भी पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है । इस प्रकार विद्वान अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 21.3.2017 प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों तथा विधिक दृष्टांतों में प्रतिपादित प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 21.3.2017 निरस्त की जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में 2006 आर0बी0जे0 पेज 648, आर0बी0जे0 1995 पेज 668, आर0बी0जे0 1996 पेज 341, एच0आई0आर0 1996 सुप्रीम कोर्ट पेज 196, ए0आई0आर0 1968 सुप्रीम कों पेज 1299 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री विधिसम्मत् है। वादग्रस्त भूमि के बाबत् अधी0न्याायाया0 ने वाद के सभी पक्षकारान ने आपसी सहमति से राजीनामा करते हुए वादग्रस्त भूमि का सहमति से विभाजन करते हुए प्राथमिक डिक्री पारित करवाई और विभाजन प्रस्ताव भी आपसी सहमति से शपथ पत्र देकर कुरेजात बनवाकर प्रस्तुत करवाये थे जिसके आधार पर अधी0न्याया0 ने वाद में अंतिम डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि विभाजन प्रस्ताव पर अपील के सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर है जिससे अब अपील में यह कथन करना कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है कथन गलत है । अपीलांटस द्वारा किये गये राजीनामे से अपीलांटस बाध्य है तथा अब अपील में राजीनामे व इकबाली जवाब दावे से इंकार नहीं कर सकते है । अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष शंकरलाल को अन्नी व कालूराम का दत्तक पुत्र मानते हुए तथा राजीनामा एवं पारिवारिक समझौता के आधार पर विभाजन को स्वीकार किया है । अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 4.4.2016 के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 2018/00326 बउनवान श्रीमती शांतिदेवी व अन्य बनाम शंकरलाल व अन्य प्रस्तुत की गई जिसे हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 4.2.2020 को आंशिक स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 4.4.2016 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निरस्त कर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया गया है । अतः अधी0न्याया0 द्वारा पारित हस्तगत अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 21.3.2017 स्वतः ही प्रभावहीन होने से अपील स्वीकार योग्य एवं अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 21.3.2017 निरस्त योग्य पायी जाती है ।

7. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है । अधी0न्याया0 विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 21.3.2017 को निरस्त किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

4/2/2020
(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 4.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

4/2/2020
(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर